

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-

दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वादपत्र संख्या :-

135/2019

1. नितिन आयु 29 वर्ष आ० महावीर जाति जाट निवासी कंवरपुरा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.
2. चन्दन आयु 21 वर्ष आ० महावीर जाति जाट निवासी कंवरपुरा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.

—वादीगण

बनाम

1. महावीर आ० धन्ना आयु 50 वर्ष जाति जाट निवासी कंवरपुरा हाल निवास कापरेन तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज०
2. राजस्थान राज्य जर्ने तहसीलदार केशवरायपाटन।

—प्रतिवादीगण

वाद :- अधिकार घोषणा व बंटवाराभूमि
अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज० टि० एक्ट


उपस्थित :-

1. वादी की और से श्री सुरेन्द्र कुमार मालव, श्री लक्ष्मीशंकर गुर्जर एडवोकेट
2. प्रतिवादी की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, एडवोकेट।

—: निर्णय :-

दिनांक – 30.09.2019


1. वादी के द्वारा दिनांक 03.09.2019 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा का पेश किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
के. फ़टन (बून्दी)

2. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि जमाबन्दी सम्बत् 2074-2077 ग्राम कंवरपुरा के खाता सं. 81 की ख.सं. 434 रकबा 3.20 है0, ख.सं. 436 रकबा 4.29 है0, ख.सं. 437/1 रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 7.50 है0 जो अकेले प्रतिवादी सं. 1 के खाते में दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 वादीगणो के पिता है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि वादीगणों की पैतृक कृषि भूमि है, जो वर्षों से चली आ रही है। जिसमें वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जबकि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का उक्त आराजी में बराबर-बराबर हिस्सा है। उक्त वर्णित भूमि का मौके पर बंटवारा कर रखा है। जिसके मुताबिक ही वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 अलग-अलग कब्जा काश्त है। जबकि वादीगणों का उक्त भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। प्रतिवादी सं. 1 विवादित आराजी को हस्तान्तरण, रहन, बय करने पर आमादा है, क्योंकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 का नाम दर्ज होने से कभी भी हस्तान्तरण, बय कर सकता है। अन्त में प्रार्थना की गई कि उक्त वर्णित आराजी में से वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का 1/3-1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।
3. वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ने इकबालिया जवाब पेश किया एवं वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ने आपसी सहमति का दिनांक 26.09.2019 को राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. बहस उभय पक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दि0 26.09.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता सं. 81 की ख.सं. 434 रकबा 3.20 है0, ख.सं. 436 रकबा 4.29 है0, ख.सं. 437/1 रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 7.50 है0 वाके ग्राम ग्राम कंवरपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को 1/3-1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि


उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



30/9/19
(दुर्गाशंकर मीना)

उपखण्डअधिकारी

के०पाटन

डिकरी ब मुकदमे इबतदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ला दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के०पाटन

इजलास - दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

नितिन V/S महावीर वगै०


वाद- अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि
मुकदमा नम्बर :: 135/2019

वादी की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार मालव, अधिवक्ता व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.09.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि-

" वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता सं. 81 की ख.सं. 434 रकबा 3.20 है०, ख.सं. 436 रकबा 4.29 है०, ख.सं. 437/1 रकबा 0.01 है० कुल कित्ता 3 कुल रकबा 7.50 है० वाके ग्राम ग्राम कंवरपुरा तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को 1/3-1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार के० पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। "

नीजग..... मुबलिकग..... बाबतग.....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरहग..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख
वसूलवादी तकग..... को अदा करे।

बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 30.09.2019 को जारी की गई।



(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवराय पाटन